न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 09/2023

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2023/135

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
बाबुदीन पुत्र अलारखजी, जाति–मुसलमान, निवासी–रानीवाड़ा, हाल–कमल ऑटो सर्विस, रानीवाड़ा–रोड़ सांचोर जिला–सांचौर, (राजस्थान)		1 भूमिधारी तहसीलदार सांचौर 2 जिला उधोग अधिकारी सांचौर जिला–सांचौर (राज)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 29.09.2023

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से महाप्रबंधक जिला उधोग एवं वाणिज्य केन्द्र, जालोर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 08.11.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया कि प्रार्थी को जिला कलक्टर जालोर द्वारा उधोग हेतु पुराने खसरा संख्या 291 में से रकबा 0.16 हैक्टेयर भूमि कमल ऑटो सर्विस के नाम से आवंटित हुई है। उक्त आवंटनसुदा भूमि राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी संख्या 2 जिला उधोग अधिकारी जालोर के नाम से है, जिसका आवंटन प्रार्थी के नाम से है। आवंटन के समय उक्त आवंटित भूमि की तरमीम तत्कालीन नेशनल हाईवे संख्या 15 की सड़क सीमा छोड़कर हुआ था। पुराने खसरा संख्या 291/9 में से नवीन खसरा संख्या 2947/3537 सृजित किए गए है, लेकिन द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने उक्त जिला उधोग केन्द्र की जमीन को पुराने नक्शे के अनुसार तरमीम न कर सड़क से काफी दूर नक्शे में दर्शित कर दी तथा सड़क एवं जि[illegible] की [illegible] में गलत रूप से नगरपालिका की आबादी भूमि दर्ज कर दी है, जबकि जि[illegible] उधोग [illegible] के नाम तत्कालीन नेशनल हाईवे संख्या 15 वर्तमान नेशन[illegible] 68 [illegible] छोड़कर आवंटन हुआ है। इस प्रकार द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियों ने सड़क सीमा और जिला उधोग केन्द्र की उक्त भूमि के बीच में नगरपालिका की आबादी भूमि गलत रूप से दर्ज कर दी है जिसे हटाकर आवंटन अनुसार नक्शे में जिला उधोग केन्द्र की जगह किया जाना न्यायसंगत है। रेकर्ड में लिपिकीय भूल से जिला उधोग केन्द्र की जगह नेशनल हाईवे से काफी दुर दर्ज करने की भूल सुधार कर आवंटन के अनुसार रेकर्ड में दुरूस्ती किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.24 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

न्यायसंगत है। अतः रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना–पत्र पेश कर माननीय अदालत से निवेदन है कि जिला उधोग केन्द्र के नवीन खसरा संख्या 2947/3537 की तरमीम पुराने आवंटन के अनुसार रेकर्ड में दर्ज करने का दुरूस्ती आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से राज पैरोकार नायब तहसीलदार सांचौर द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा–सांचौर के खसरा संख्या 291 में से 1 बीघा भूमि जिला उधोग अधिकारी जालोर के नाम आवंटित भूमि के पुराने खसरा संख्या 291/9 रकबा 1 बीघा से नवीन खसरा संख्या 1329/2947/3537, 2947/3537 रकबा 0.16 हैक्टेयर नक्शा लट्ठा में तरमीम संशोधन हेतु निवेदन किया है लेकिन प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र सरासर गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज योग्य है। मौजा सांचौर के पुराने खसरा संख्या 291 गैर मुमकिन गोचर भूमि में से लधु उधोग के लिए उपयुक्त होने पर तत्कालीन हल्का पटवारी सांचौर द्वारा दिनांक 04.11.1973 को मौका जांच कर नियमानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से सड़क या सीमा 40 मीटर छोड़कर एन.एच. रोड़ से लाछड़ी की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से लगती हुई उतर दिशा में मौके पर खाली भूमि एक बीघा जिला उधोग अधिकारी जालोर को आवंटित करने हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा तैयार कर प्रस्ताव श्रीमान जिलाधीश महोदय जालोर को प्रेषित किया गया। श्रीमान जिलाधीश महोदय जालोर के आदेश क्रमांक/राजस्व/1967 दिनांक 30.07.1974 द्वारा विज्ञप्ति जारी कर प्रस्तावित भूमि ग्राम सांचौर के खसरा संख्या 291 में से रकबा 1 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि औधोगिक एवं व्यापारिक क्षैत्र घोषित किया गया। तत्पश्चात श्रीमान जिलाधीश महोदय जालोर के आदेश क्रमांक/एफ12 (3) (48) राजस्व/2021/ दिनांक 13.01.1977 द्वारा खसरा संख्या 291 में से औधोगिक एवं व्यापारिक क्षैत्र घोषित भूमि रकबा एक बीघा को मैसर्स कमल ऑटो सर्विस एण्ड रिपेयरिंग सांचौर के नाम ऑटो मोबाईल एवं सर्विसिंग एण्ड रिपेयरिंग वर्कशॉप हेतु नियमानुसार आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला उधोग अधिकारी जालोर को आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को उससे नियमानुसार लीज डीड तकमील कराकर सुपुर्द करने के आदेश प्रदान किये गये। वर्तमान राजस्व रेकर्ड व नक्शा लट्ठा में आवंटित अनुरूप सही दर्ज है राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क से नियमानुसार सड़क सीमा मध्य से 40 मीटर तक छोड़कर आवंटन किया गया था। उसी अनुरूप वर्तमान नक्शा लट्ठा में दर्ज है। राष्ट्रीय [illegible] आवंटित भू–भाग के बीच की भूमि नियमानुसार गैर मुमकिन [illegible] दर्ज है जो सही है [illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुसार किसी भी प्रकार की दुरूस्ती नक्शा लट्ठा व रेकर्ड में अपेक्षित नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है अतः खारिज फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.24 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि जिलाधीश जालोर के क्रमांक/राजस्व/1967 दिनांक 30.07.1974 में जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 62 के तहत प्रदत शक्तियों के प्रयोग में एवं सरकार के

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

सामान्य आदेशों के तहत ग्राम सांचौर के खसरा संख्या 291 रकबा 1 बीघा गैर मुमकिन गोचर भूमि के ओधौगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र घोषित किया है उक्त आराजी का कब्जा जिला उधोग अधिकारी जालोर को सुपुर्द किया गया था, उक्त कब्जा दिनांक 04.02.1977 को सुपुर्द किया गया था।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहरते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि जिला उधोग केन्द्र के नवीन खसरा संख्या 2967/3537 की तरमीम पुराने आवंटन के अनुसार रेकर्ड में दर्ज करने का दुरूस्ती आदेश फरमावें।

राज पैरोकार सांचौर द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि जिला उधोग अधिकारी जालोर को आवंटित भूमि खसरा संख्या 291/9 रकबा 1 बीघा से द्वितीय सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा संख्या 1329/2947/3537 रकबा 0.16 हैक्टेयर सृजित हुए। राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा संख्या 1329/2947/3537 के स्थान पर खसरा संख्या 2947/3537 दर्ज हुआ है। वर्तमान राजस्व रेकर्ड व नक्शा लट्ठा में आवंटित अनुसार सही दर्ज है। राष्ट्रीय राजमार्ग व आवंटित भू–भाग के बीच की भूमि नियमानुसार गैर मुमकिन गोचर दर्ज है जो सही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुसार किसी भी प्रकार की दुरूस्ती नक्शा लट्ठा व रेकर्ड में अपेक्षित नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल खारिज है, अतः खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस समायत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा वक्त कब्जा सुपुर्दगी, नक्शा सन् 1953–54 वर्तमान नक्शा, नक्शा भूनाप वर्ष 1986–87, मिलान खसरा क्षैत्रफल एवं तहसीलदार सांचौर के जवाब का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया।

मैसर्स कमल ओटो सर्विस एण्ड रिपेयर्स सांचौर की लीजसुदा भूमि जिला उधोग केन्द्र जालोर की पुराना खसरा नंबर 291/9 रकबा 1 बीघा भूमि दिनांक 11.03.1977 को आवंटित की गई एवं नामान्तरकरण संख्या 427/77 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की गई। कब्जा सुपुर्दगी नजरी नक्शा के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी को भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा को छोड़कर किया गया तथा लीजडीड के अवलोकन से उक्त भूमि की माप 132 फीट * 132 फीट अर्थात् 40 मीटर * 40 मीटर [illegible] का प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर किया जाना विधिसंगत एवं उचि[illegible]गा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.24 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थी [illegible]र्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि जिला उधोग अधिकारी, जालोर को आवंटित औधोगिक भूखण्ड पुराना खसरा संख्या 291/9 रकबा 1 बीघा जिसके नवीन खसरा संख्या 1329/2947/3537 रकबा 0.16 हैक्टेयर की तरमीम राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य बिन्दू से 40

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

10 मीटर छोड़कर लाछड़ी मार्ग के सहारे 132 फीट अर्थात् 40 मीटर लम्बाई एवं 40 मीटर चौड़ाई में तरमीम शुद्व दर्ज करावें। तहसीलदार सांचौर को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 08.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.24 13:38:04 IST
Reason: SelfAttested